कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, ... रकबा ... मध्य

खा० नं०

GCMS- 2025/638

# FORM No. III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत......उपखण्ड अधिकारी......मुकाम......कोटा......

......सरकार......बनाम......महेन्द्र......

किस्म मुकदमा......136......नं. ......153......सन्

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज |
|---|---|
| 7/4/25 | राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। जांच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना–पत्र पर बहस कर प्रार्थना–पत्र स्वीकार जाने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना–पत्र सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक ...12/11/25... को पेश हो। |
| 12/11/25 | पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी द्वारा ग्राम गोरधनपुरा के खाता संख्या 14 पर स्वतः स्वीकृत नामा0 संख्या 609 दिनांक 15.06.2025 बेचान द्वारा क्रेता का नाम महेन्द्र पुत्र प्रताप नाम की डबल एन्ट्री हो रही है। जबकि महेन्द्र कुमार पुत्र प्रताप की एक प्रविष्टी पूर्व में भी दर्ज थी। उक्त नामान्तरण द्वारा महेन्द्र पुत्र प्रताप की 2 बार प्रविष्टी दर्ज हुई। जिसे दुरूस्त करवाने हेतु अप्रार्थी द्वारा आवेदन किया है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पंजीयन क्रमांक 202503123107332 दिनांक 16.06.2025 से क्रेता की 2 बार एन्ट्री हो गई है जिससे खाता अपवादित हो गया है। तथा अन्य कार्य सीमित हो गया है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार उक्त नाम एक ही व्यक्ति के हैं। जिसे दुरूस्त किया जाना है। उक्त प्रविष्टियों को दुरूस्त करने के आदेश करने की क्षेत्राधिकारिता श्रीमान न्यायालय को है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर उक्त शुद्धि की जावें।<br>पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में कथन किया है कि ग्राम गोरधनपुरा के खाता संख्या 14 पर स्वतः स्वीकृत नामा0 संख्या 609 दिनांक 15.06.2025 बेचान द्वारा क्रेता का नाम महेन्द्र पुत्र प्रताप नाम की डबल एन्ट्री हो गई है। उक्त त्रुटी स्वतः स्वीकृत नामा0 के कारण सहवन से हुई है। जिसकी शुद्धि किया गया उचित है। प्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर ग्राम गोरधनपुरा के खाता संख्या 14 में महेन्द्र कुमार पुत्र प्रताप की डबल एन्ट्री को एक दर्ज करने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावें।<br>उक्त निर्णय आज दिनांक ......12/11/25...... को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।<br>गजेन्द्र सिंह<br>उपखण्ड अधिकारी<br>कोटा<br>उपखण्ड अधिकारी<br>कोटा |